न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः– 21/2017

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1– चौखलों उर्फ चौखाराम पुत्र गुलियों उर्फ गुलाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर।		1– ओमाराम पुत्र सूरजियों उर्फ सूरजाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर। 2– तहसीलदार, तहसील कार्यालय जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.02.2017 जो तहसीलदार जोधपुर ने जारी करते हुए खसरा नम्बर 100 रकबा 132.02 ग्राम उचियारड़ा तहसील व जिला जोधपुर की जमीन का सीमांकन करने बाबत् इकतरफा आदेश पारित किया गया।

– – –

आदेश दिनांक 16.07.2018

उपस्थिति :–

1– श्री प्रहलादसिंह भाटी अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2– श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता (प्रत्यर्थी–1)
3– प्रत्यर्थीपक्ष–2 ईत्तला बावजूद अनुपस्थित।

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम उचियारड़ा तहसील जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 100 रकबा 132 बीघा 02 बिस्वा भूमि बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा दिनांक 22.03.2016 को शून्य घोषित करने का वाद एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 27.02.2017 को प्रत्यर्थीपक्ष के विरूद्ध अन्तर्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई अतः अंतिम रूप से अधिकारों का वाद लम्बित रहने के दौरान तहसीलदार जोधपुर द्वारा विवादग्रस्त

लगातार...

Scanned with CamScanner

भूमि का सीमांकन करने के लिए इकतरफा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2017 को पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील मीमों मय धारा 5, भा. मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश किया।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष–एक की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रत्यर्थी–2 का नोटिस पेशी तारीख 14.06.17 बाद तामील लौटा। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर दिनांक 10.07.2018 को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि वाके ग्राम उचियारड़ा तहसील जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 100 रकबा 132 बीघा 02 बिस्वा भूमि बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा दिनांक 22.03.2016 को शून्य घोषित करने का वाद एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 27.02.2017 को प्रत्यर्थीपक्ष के विरूद्ध अन्तर्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई परन्तु रेस्पो. पक्ष–2 की ओर से दिनांक 10.03.2017 को एक प्रार्थना–पत्र बाबत् स्थगन आदेश आगे नहीं बढ़ाने का प्रस्तुत होने पर अपीलार्थीपक्ष की ओर से भी प्रार्थना–पत्र 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर स्थगन आदेश का प्रभाव आगे बढाने की प्रार्थना की गई परन्तु विचारण न्यायालय ने दबाव में आकर बिना किसी बदली परिस्थिति या अवसर के अन्तर्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को वापिस लेने के आदेश पारित कर दिया। अतः सहायक कलक्टर जोधपुर न्यायालय में नियमित राजस्व वाद लम्बित रहते हुए तहसीलदार जोधपुर ने उक्त भूमि का सीमांकन करने का इकतरफा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.02.2017 को जारी करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। बहस में आगे कहा कि तहसीलदार जोधपुर ने पूर्व में किये गये अवैध बंटवाड़ा के दस्तावेज दिनांक 22.03.2016 के अनुसरण में उसके कियान्वयन की विधि विरूद्ध नियत रखते हुए सीमांकन करने अपीलाधीन आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। बहस के अन्त में अपील अन्दर मियाद सुमार करने एवं अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष–एक के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि का संयुक्त खातेदारान के बीच आपसी सहमति से पूर्व में बंटवाड़ा करने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है तथा उसमें एक खातेदार पवन मित्तल ने पेट्रोल पम्प भी स्थापित करने की कार्यवाही की। अब पुनः बंटवाड़ा को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में चुनौति दी गई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अन्तर्रिम रूप से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को वापिस लिया जा चुका है जिसको आर.ए.ए. चुनौति दी गई जो निस्तारित किया जा चुका है।

लगातार...

Scanned with CamScanner

18

अन्त में अपील सारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपीलार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों का प्रत्यर्थीपक्ष का खण्डन नहीं करने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद सुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष की यह स्वीकारोक्ति है कि विवादग्रस्त भूमि बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा दिनांक 22.03.2016 को शून्य घोषित करने का एक वाद एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 27.02.2017 को अन्तर्रिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हुई। प्रत्यर्थीपक्ष–2 द्वारा सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि का सीमांकन करने का अपीलार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा आदेश दिनांक 27.02.2017 को पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार जोधपुर को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मतः आदेश पारित करे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Scanned with CamScanner